(भारत के राजपत्र भाग II खण्ड ३, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, ५-१-२००२

अधिसूचना

सा.का.नि. ३.-- अनाज श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, २००० का प्रारुप, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, १९३७ (१९३७ का १) की धारा ३ की अपेक्षानुसार, भारत के कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसूचना सा.का.नि. १३५ तारीख ३१ मार्च, २००० के अधीन भारत के राजपत्र भाग II, खंड ३, उपखंड (i) में तारीख १५ अप्रैल, २००० को प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे व्यक्तियों से जिनसे उनके प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना अन्तर्विष्ट थी, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, ४५ दिन की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे ।

और उक्त राजपत्र जनता को १९ अप्रैल, २००० को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त प्रारुप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझाव पर विचार कर लिया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, १९३७ की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और खाद्यान्न श्रेणीकरण नियम, १९६६ को उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या छोड़ दिया गया है एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

१. **संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भः** (१) इन नियमों का नाम अनाज श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, २००१ है ।

(२) ये रागी (ईल्यूसिन कोराकाना एल गेरटन), ज्वार (सोरघम वलगेयर पर्स), मक्का (जियोमेइस एल), जौं (होरडियम वलगेयर एल अथवा होरडियम डिस्टीकोन) और बाजरा (पेनिसिटम टाईफोडियम रिच) पर लागू होंगे ।

(३) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

२. **परिभाषाएं:** (क) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;

(ख) " प्राधिकृत पैकर" से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अधीन विहित श्रेणी मानकों और प्रक्रिया के अनुसार अनाज पर श्रेणी और चिन्ह लगाने के लिए प्राधिकृत करते हुए जारी जारी किया गया प्रमाण-पत्र मंजूर किया गया है;

----२

(ग) "प्राधिकार प्रमाण-पत्र" से साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, १९८८ के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति व्यक्तियों के निकाय को, अनाज पर श्रेणी अभिधान चिन्ह लगाने के लिए प्राधिकृत करते हुए जारी किया गया प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है;

(घ) "साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियमों" से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, १९३७ (१९३७ का १) की धारा ३ के अधीन बनाए गये साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, १९८८ अभिप्रेत है;

(ड.) "श्रेणी अभिधीन चिन्ह" से यथास्थिति नियम ५ के उपनियम (i) में निर्दिष्ट एगमार्क लेबल या नियम ५ के उपनियम (ii) में निर्दिष्ट एगमार्क प्रतिकृति अभिप्रेत है;

(च) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ।

३. **श्रेणी अभिधानः** इन नियमों के प्रयोजन के लिए श्रेणियों के नाम श्रेणी अभिधान होगा जो अनुसूची II, III, IV, V, VI और VII के स्तम्भ १ के अधीन दी गई अनाज की क्वालिटी को उपदर्शित करता है ।

४. **क्वालिटी की परिभाषा :** इन नियमों के प्रयोजन के लिए अनाज की क्वालिटी की परिभाषा क्रमशः अनुसूची II, III, IV, V, VI और VII के स्तम्भ २ से ९ और अनुसूची V के स्तम्भ २ से १० में प्रत्येक श्रेणी अभिधान के सामने दी गई परिभाषा के अनुसार होगी ।

५. **श्रेणी अभिधान चिन्ह :** श्रेणी अभिधान चिन्ह में निम्नलिखित होगा -

(i) एक लेबल जिस पर वस्तु का नाम, श्रेणी अभिधान विनिर्दिष्ट करते हुए और अनुसूची १ में दिए गये डिजाइन के सदृश "एगमार्क" शब्द और उदीयमान सूर्य के चित्र के साथ भारत के मानचित्र के रेखाचित्र से मिलकर बना डिजाइन होगा या,

(ii) "एगमार्क प्रतिकृति" अनुसूची-१ क में दिए गए डिजाइन के सदृश प्राधिकार प्रमाण-पत्र का संख्यांक संयोगी डिजाइन "एगमार्क" शब्द, वस्तु का नाम, श्रेणी अभिधान होगा,

परन्तु "एगमार्क लेबल" के बदले में "एगमार्क प्रतिकृति" का उपयोग केवल ऐसे प्राधिकृत पैकरों के लिए अनुज्ञात होगा, जिन्हें कृषि विपणन सलाहकार या इस संबंध में, उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा और साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, १९८८ के अधीन विहित शर्तों के अधीन रहते हुए, अनुज्ञा प्रदान की गई है ।

६. **पैक करने की रीति :** (i) अनाज को टाट के बोरों, जूट के बोरों, पोलीवेवन बोरों, पोली पाउचों, कपड़े के थैलों या अन्य उपयुक्त पैकिंग में जो साफ, मजबूत और कीट/फफूंदी ग्रसन से मुक्त हो, पैक किया जाएगा और पैकिंग सामग्री का विनिर्माण खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ के अधीन अनुज्ञात किया जाएगा ।

(ii) पैकेज में अनाज का शुद्ध भार, पैक की गई वस्तु नियम, १९७७ के अनुसार समय-समय पर कृषि विपणन सलाहकार द्वारा निर्धारित भार के अनुसार होगी ।

(iii) प्रत्येक पैकेज में एक ही प्रकार और एक ही श्रेणी अभिधान का अनाज अंतर्विष्ट होगा ।

(iv) प्रत्येक पैकेज सुरक्षित रुप से बंद और मुहरबंद किया जाएगा ।

----३

७. **चिन्हांकन की रीति :** (i) श्रेणी अभिधान चिन्ह प्रत्येक पैकेज पर कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा इस निमित्त साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, १९८८ के नियम २ के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति में सुरक्षित रुप से लगाया या मुद्रित किया जाएगा ।

(ii) प्रत्येक लेबल या पैकेज पर श्रेणी अभिधान चिन्ह के अतिरिक्त निम्नलिखित विशिष्टयां स्पष्ट और अमिट रुप से चिन्हांकित की जाएंगी ।

(क) पैकर का नाम और पता;
(ख) पैकिंग का स्थान;
(ग) पैकिंग की तारीख;
(घ) फसल का वर्ष/मौसम (केवल ज्वार के मामले में);
(ड.) लॉट/बैच संख्यांक;
(च) शुद्ध भार;
(छ) श्रेणी
(ज) अधिकतम खुदरा मूल्य जिसके अंतर्गत सभी कर हैं;
(झ) -------------- माह ------------------वर्ष से पूर्व उत्तम;

(iii) चिन्हांकन के लिए प्रयुक्त की गई स्याही ऐसी क्वालिटी की होगी जिससे उत्पाद संदूषित नहीं हो;
(iv) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् पैकेजों पर अपना प्राइवेट चिन्ह या व्यापार ब्रांड लगा सकेगा ।

परन्तु इससे, इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिन्ह द्वारा उपदर्शित क्वालिटी अन्यथा उपदर्शित न हो ।

८. **प्राधिकार के प्रमाण पत्र की विशेष शर्तेः** साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, १९८८ के नियम ३ के उपनियम (८) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त इन नियमों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक प्राधिकार प्रमाण-पत्र जारी करने की विशेष शर्तें निम्नलिखित होंगी -

(i) प्राधिकृत पैकर या तो अपनी प्रयोगशाला स्थापित करेगा या अनाज की जांच के लिए किसी अनुमोदित श्रेणीकरण प्रयोगशाला में पैठ रखेगा;
(ii) परिसर को स्वच्छ, स्वास्थ्यकर दशा में बनाए रखेगा और सभी संकर्मी स्वस्थ और संक्रामक सांसर्गिक या संचारी रोगों से मुक्त होंगे;
(iii) परिसर में कृन्तक कीटग्रस्तता से मुक्त पर्याप्त भंडारण की सुविधा होना चाहिए;
(iv) प्राधिकृत पैक कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, समय-समय पर जांच, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिन्हांकन, मुद्रांकन और अभिलेखों के अनुरक्षण के संबंध में उसकी ओर से निकाले गए सभी अनुदेशों का पालन करेगा ।

----४

अनुसूची-१
(नियम ५ (i) देखिए)

(एगमार्क लेबल पर डिजाइन)

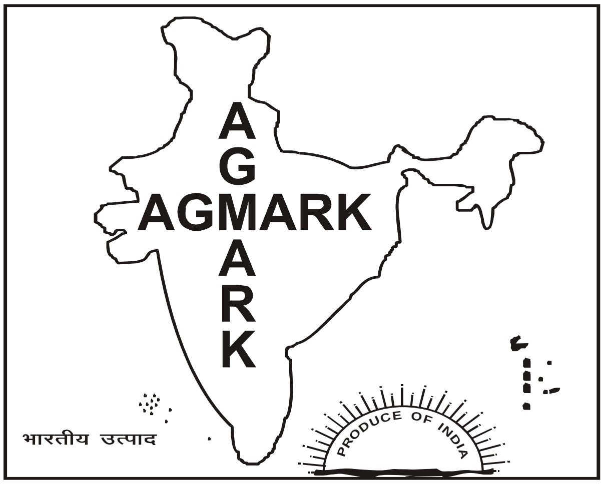

अनुसूची-१ क
(नियम ५ (ii) देखिए)

(एगमार्क प्रतिकृति का डिजाइन)

वस्तु का नाम --------------------
श्रेणी --------------------

------५

अनुसूची-II
(नियम ३ और ४ देखिए)

रागी का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा
	विशेष अपेक्षाएं

अधिकतम सह्य सीमा (भार प्रतिशत में)

	नमी	विजातीय पदार्थ कार्बनिक	अकार्बनिक	अन्य खाद्य दाने	क्षतिग्रस्त दाने	अपरिपक्व और झुर्रीदार दाने	घुनग्रस्त दाने
१	२	३	४	५	६	७	८
श्रेणी-I	१२.०	०.१०	शून्य	१.०	१.०	२.०	०.१
श्रेणी-II	१२.०	०.२५	०.१०	१.५	२.०	३.०	०.२
श्रेणी-III	१४.०	०.५०	०.२५	२.०	३.०	४.०	०.३
श्रेणी-IV	१४.०	०.७५	०.२५	४.०	५.०	४.०	०.५

साधारण अपेक्षाएं

९

रागी में- (क) ईल्यूसिन कोराकाना एल, गेरटन के सूखे परिपक्व दाने होंगे;

(ख) मृदु, कठोर, स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद, समान आकार, आकृति और रंग के तथा अच्छी विक्रय योग्य दशा में होंगे;

(ग) अतिरिक्त रंजक पदार्थ, फफूंदी, घुन, अप्रियकर पदार्थ, विवर्णन, विषैले बीज से मुक्त और अन्य सभी अशुद्धियां, अनुसूची में दी गई सीमा से अधिक नहीं होंगी;

(घ) यूरिक एसिड और एफलाटॉक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः १०० मि.ग्रा. और ३० माइकोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

(ड.) कृन्तक के बाल और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

(च) जीवनाशी/कीटनाशी, (नियम ६५), धात्विक संदूषण (नियम ५७) और अन्य प्राकृतिक विषैले पदार्थों (नियम ५७-बी) के संबंध में निर्बन्धनों और समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में विहित उपबंधों का पालन किया जाएगा ।

टिप्पणः - विजातीय पदार्थ में पशुजनित अशुद्धियां भार में ०.१० प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

-----६

अनुसूची-III
(नियम ३ और ४ देखिए)

रबी ज्वार का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा
	विशेष अपेक्षाएं
	अधिकतम सह्य सीमा (भार प्रतिशत में)

श्रेणी	नमी	विजातीय पदार्थ कार्बनिक	विजातीय पदार्थ अकार्बनिक	अन्य खाद्य दाने	क्षतिग्रस्त दाने	अपरिपक्व और झुर्रीदार दाने	घुनग्रस्त दाने
१	२	३	४	५	६	७	८
श्रेणी-I	१२.०	०.१०	शून्य	१.०	१.०	२.०	०.५
श्रेणी-II	१२.०	०.२५	०.१०	१.५	२.०	४.०	१.०
श्रेणी-III	१४.०	०.५०	०.२५	२.०	३.०	६.०	२.०
श्रेणी-IV	१४.०	०.७५	०.२५	४.०	५.०	८.०	६.०

साधारण अपेक्षाएं

९

ज्वार- (क) रबी की फसल में उगाए गए सोरघम वलगेयर पर्स के सूखे परिपक्व दाने होंगे;

(ख) मृदु, कठोर, स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद, समान आकार, आकृति और रंग के और अच्छी विक्रय योग्य दशा में होंगे;

(ग) अतिरिक्त रंजक पदार्थ, फफूंदी, घुन, अप्रियकर पदार्थ, विवर्णन, विषैले बीज से मुक्त और अन्य सभी अशुद्धियां, अनुसूची में दी गई सीमा से अधिक नहीं होंगी;

(घ) यूरिक एसिड और एफलाटॉक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः १०० मि.ग्रा. और ३० माइकोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

(ड.) कृन्तक के बाल और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

(च) जीवनाशी/कीटनाशी, (नियम ६५), धात्विक संदूषण (नियम ५७) और अन्य प्राकृतिक विषैले पदार्थों (नियम ५७-बी) के संबंध में निर्बन्धनों और समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में विहित उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा ।

टिप्पणः - (I) विजातीय पदार्थ में पशुजनित अशुद्धियां भार में ०.१० प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(II) धान्य रोग प्रभावित दाने कुल क्षतिग्रस्त दाने कुल भार का ०.०५ प्रतिशत से अधिन नहीं होंगे ।

-----७

अनुसूची-IV
(नियम ३ और ४ देखिए)

खरीफ ज्वार का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान — क्वालिटी की परिभाषा

विशेष अपेक्षाएं

अधिकतम सह्य सीमा (भार प्रतिशत में)

नमी	विजातीय पदार्थ	अन्य खाद्य	क्षतिग्रस्त	अपरिपक्व	घुनग्रस्त

	कार्बनिक	अकार्बनिक	दाने	दाने		और झुर्रीदार दाने	दाने
१	२	३	४	५	६	७	८
श्रेणी-I	१२.०	०.१०	शून्य	०.५	१.५	१.०	१.०
श्रेणी-II	१२.०	०.२५	१.०	१.०	३.०	२.०	२.५
श्रेणी-III	१४.०	०.५०	०.२५	२.०	४.५	५.०	४.०
श्रेणी-IV	१४.०	०.७५	०.२५	३.०	६.०	८.०	६.०

साधारण अपेक्षाएं

९

ज्वार में-(क) खरीफ की फसल में उगाए गए सोरघम वलगेयर पर्स के सूखे परिपक्व दाने होंगे;

(ख) मृदु, कठोर, स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद, समान आकार, आकृति और रंग के और अच्छी विक्रय योग्य दशा में होंगे;

(ग) अतिरिक्त रंजक पदार्थ, फफूंदी, घुन, अप्रियकर पदार्थ, विवर्णन, विषैले बीज से मुक्त और अन्य सभी अशुद्धियां, अनुसूची में दी गई सीमा से अधिक नहीं होंगी;

(घ) यूरिक एसिड और एफलाटॉक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः १०० मि.ग्रा. और ३० माइकोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

(ड.) कृन्तक के बाल और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

(च) जीवनाशी/कीटनाशी, (नियम ६५), धात्विक संदूषण (नियम ५७) और अन्य प्राकृतिक विषैले पदार्थों (नियम ५७-बी) के संबंध में निर्बन्धनों और समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में विहित उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा ।

टिप्पणः - (I) विजातीय पदार्थ में पशुजनित अशुद्धियां भार में ०.१० प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(II) धान्य रोग प्रभावित दाने कुल क्षतिग्रस्त दाने कुल भार का ०.०५ प्रतिशत से अधिन नहीं होंगे ।

-----८

अनुसूची-V
(नियम ३ और ४ देखिए)

मक्का का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा							
	विशेष अपेक्षाएं							
	अधिकतम सह्य सीमा (भार प्रतिशत में)							
	नमी	विजातीय पदार्थ कार्बनिक	विजातीय पदार्थ अकार्बनिक	अन्य खाद्य दाने	विभिन्न किस्मों का अधिमिश्रण	क्षतिग्रस्त दाने	अपरिपक्व और झुर्रीदार दाने	घुनग्रस्त दाने (संख्या प्रतिशत में)

१	२	३	४	५	६	७	८	९
श्रेणी-I	१२.०	०.१०	शून्य	०.५	५.०	१.०	२.०	२.०
श्रेणी-II	१२.०	०.२५	०.१०	१.०	१०.०	२.०	४.०	४.०
श्रेणी-III	१४.०	०.५०	०.२५	२.०	१५.०	३.०	६.०	६.०
श्रेणी-IV	१४.०	०.७५	०.२५	३.०	१५.०	४.०	६.०	८.०

साधारण अपेक्षाएं

१०

मक्का- (क) जिया मेइस एल, के सूखे परिपक्व दाने होंगे;

(ख) मृदु, कठोर, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर, समान आकार, आकृति और रंग और अच्छी विक्रय योग्य दशा में होंगे;

(ग) अतिरिक्त रंजक पदार्थ, फफूंदी, घुन, अप्रियकर पदार्थ, विवर्णन, विषैले बीज से मुक्त और अन्य सभी अशुद्धियां, अनुसूची में दी गई सीमा से अधिक नहीं होंगी;

(घ) यूरिक एसिड और एफलाटॉक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः १०० मि.ग्रा. और ३० माइकोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

(ड.) कृन्तक के बाल और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

(च) जीवनाशी/कीटनाशी, भार (नियम ६५), धात्विक संदूषण (नियम ५७) और अन्य प्राकृतिक विषैले पदार्थों (नियम ५७-बी) के संबंध में निर्बन्धनों और समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में विहित उपबंधों का पालन किया जाएगा ।

टिप्पणः - विजातीय पदार्थ में पशुजनित अशुद्धियां भार में ०.१० प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

-----९

अनुसूची-VI
(नियम ३ और ४ देखिए)

जौ का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा						
	विशेष अपेक्षाएं						
	अधिकतम सह्य सीमा (भार प्रतिशत में)						
	नमी	विजातीय पदार्थ		अन्य खाद्य दाने	क्षतिग्रस्त दाने	अपरिपक्व और झुर्रीदार दाने	घुनग्रस्त दाने
		कार्बनिक	अकार्बनिक				

१	२	३	४	५	६	७	८
श्रेणी-I	१२.०	०.१०	शून्य	०.५	१.०	२.०	०.५
श्रेणी-II	१२.०	०.२५०.१०	०.५	२.०	४.०	२.०	
श्रेणी-III	१४.०	०.५००.२५	१.०	३.०	६.०	४.०	
श्रेणी-IV१४.०	०.७५	०.२५	१.०	४.०	६.०	८.०	

साधारण अपेक्षाएं

९

जौ- (क) होर्डियम वलगेयर एल. अथवा होर्डियम डिस्टीकोन के सूखे परिपक्व दाने होंगे;

(ख) मृदु, कठोर, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर, समान आकार, आकृति और रंग और अच्छी विक्रय योग्य दशा में होंगे;

(ग) अतिरिक्त रंजक पदार्थ, फफूंदी, घुन, अप्रियकर पदार्थ, विवर्णन, विषैले बीज से मुक्त और अन्य सभी अशुद्धियां, अनुसूची में दी गई सीमा से अधिक नहीं होंगी;

(घ) यूरिक एसिड और एफलाटॉक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः १०० मि.ग्रा. और ३० माइकोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

(ड.) कृन्तक के बाल और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

(च) जीवनाशी/कीटनाशी, (नियम ६५), धात्विक संदूषण (नियम ५७) और अन्य प्राकृतिक विषैले पदार्थों (नियम ५७-बी) के संबंध में निर्बन्धनों और समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में विहित उपबंधों का पालन किया जाएगा ।

टिप्पणः - विजातीय पदार्थ में पशुजनित अशुद्धियां भार में ०.१० प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

----१०

अनुसूची-VII
(नियम ३ और ४ देखिए)

बाजरे का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा						
	विशेष अपेक्षाएं						
	अधिकतम सह्य सीमा (भार प्रतिशत में)						
	नमी	विजातीय पदार्थ कार्बनिक	विजातीय पदार्थ अकार्बनिक	अन्य खाद्य दाने	क्षतिग्रस्त दाने	अपरिपक्व और झुर्रीदार दाने	घुनग्रस्त दाने
१	२	३	४	५	६	७	८
श्रेणी-I	१२.०	०.१०	शून्य	१.०	०.५	१.५	१.०

श्रेणी-II	१२.०	०.२५०.१०		२.०	१.०	३.०	२.५
श्रेणी-III	१४.०	०.५००.२५		२.५	२.०	५.०	४.०
श्रेणी-IV	१४.०	०.७५	०.२५	३.०	४.०	८.०	६.०

साधारण अपेक्षाएं

९

बाजरा- (क) पेनिसिटम टायफोयडिम रिच के सूखे परिपक्व दाने होंगे;

(ख) मृदु, कठोर, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर, समान आकार, आकृति और रंग और अच्छी विक्रय योग्य दशा में होंगे;

(ग) अतिरिक्त रंजक पदार्थ, फफूंदी, घुन, अप्रियकर पदार्थ, विवर्णन, विषैले बीज से मुक्त और अन्य सभी अशुद्धियां, अनुसूची में दी गई सीमा से अधिक नहीं होंगी;

(घ) यूरिक एसिड और एफलाटॉक्सिन प्रति किलोग्राम क्रमशः १०० मि.ग्रा. और ३० माइकोग्राम से अधिक नहीं होंगे;

(ड.) कृन्तक के बाल और उत्सर्ग से मुक्त होंगे;

(च) जीवनाशी/कीटनाशी, (नियम ६५), धात्विक संदूषण (नियम ५७) और अन्य प्राकृतिक विषैले पदार्थों (नियम ५७-बी) के संबंध में निर्बन्धनों और समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ में विहित उपबंधों का पालन किया जाएगा ।

टिप्पणः - (I) विजातीय पदार्थ में पशुजनित अशुद्धियां भार में ०.१० प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(II) धान्य रोग प्रभावित दाने, क्षतिग्रस्त दाने के कुल भार का ०.०५ प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

----११

परिभाषाएं —

(१) “विजातीय पदार्थ” से अनाज से अन्यथा कोई असम्बद्ध पदार्थ अभिप्रेत है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) “अकार्बनिक पदार्थ” के अन्तर्गत धात्विक टुकड़े, धूल रेत, कंकड़, पत्थर, मिट्टी के ढेले, मटियार, कीचड़ और पशुओं की गंदगी आदि हैं ।

(ख) “कार्बनिक पदार्थ” से भूसी पुआल, घास के बीज और अन्य अखाद्य दाने आदि अभिप्रेत हैं ।

(२) “अन्य खाद्य दाने” से प्रश्नगत अनाज से भिन्न खाद्यान्न जिसमें तिलहन बीज शामिल हैं, अभिप्रेत हैं ।

(३) “क्षतिग्रस्त दाने” से वे दाने अभिप्रेत हैं जो अंकुरित हुए हैं या उष्णता, रोगालु, नमी या मौसम के परिणामस्वरुप भीतर से क्षतिग्रस्त हुए हैं जैसे शसयाधि से प्रभावित दाने और गूदा जले हुए दाने ।

(४) “अपरिपक्व दाने और झुर्रीदार दाने” से वे दाने अभिप्रेत हैं जो ढंग से विकसित नहीं हुए हैं ।

(५) “घुनग्रस्त दाने” से खाद्यान्न हानिकर कीटों द्वारा पूर्णतः छिद्रित दाने अभिप्रेत हैं । किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे दाने नहीं आते हैं जो जीवाणु या उसके अण्डों से धब्बों वाले हैं ।

(६) “विषैले और अथवा/हानिकारक बीजों” से ऐसे बीज अभिप्रेत हैं जो यदि अनुज्ञेय सीमा से अधिक मात्रा में विद्यमान हैं और जिनका स्वास्थ्य, आर्गेनोलेप्टिक गुण या तकनीकी कार्यक्षमता पर वैसा हानिकारक प्रभाव हो सकता है जैसा कि धतुरा (डी फास्टुओसा लिन्न और डी स्ट्रामोनियम लिन्न), कार्न कॉक्ल (एग्रोस्टेमा गिथागो एल, मचाई लेलियम रेमुलेनम लिन्न) और अकरा (विसिया स्पीशीज) के प्रभाव हो सकते हैं ।

(फा.सं. १८०११/२/९८-एम.-II

पी०के० अग्रवाल, संयुक्त सचिव, कृषि विपणन